संख्या-176/2026/1324 /35-4-2026/35-4099/264/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर,2026

विषय – जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-838/त्व0आ0वि0यो0/मांग/2023-24,दिनांक 10 जुलाई,2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जमानिया में सड़क निर्माण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-41/2024/145/35-4-2024/35-4099/264/2023, दिनांक 02 फरवरी, 2024 द्वारा स्वीकृत कार्य की समर्पित/अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद- गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र- जमानिया में सड़क निर्माण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-41/2024/145/35-4-2024/35-4099/264/2023, दिनांक: 02 फरवरी, 2024 द्वारा स्वीकृत 01 कार्य की रू0 95.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 95.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा रू0 47.50 लाख व्यय किया गया। तत्क्रम में जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा उक्त 01 कार्य हेतु समर्पित/अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्य के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का व्यय होना इंगित करते हुए अनुबन्ध पर हुयी बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 41.60 लाख (रूपये इक्तालिस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत (जीएसटी सहित)**	**अनुबन्ध की लागत**	**अन्य करमदों में (जीएसटी की धनराशि)**	**कार्य की लागत (जीएसटी सहित) जी0एस0टी0के अतिरिक्त अन्य मदो को छोड़कर (नियमानुसार जोड़ने पर) (3 +4)**	**कुल बचत (2-5)**	**प्रथम किश्त में (सम्पूर्ण अवमुक्त धनराशि)**	**व्यय धनराशि**	**समर्पित धनराशि**	**बचत एवं व्यय को समायोजित करने के उपरान्त अवमुक्त हेतु अवशेष देय धनराशि**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7			8
गाँव सभा मिर्चा विधान सभा से निरहू के पूरा सरैला सम्पर्क मार्ग पर पी0सी0 कार्य।	95.00	75.51	13.59	89.10	5.90	95.00	47.50	47.50	41.60

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक: 02 फरवरी, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा| धनराशी का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए, कार्यपूर्णता का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये. 41,60,000/- (रूपये इक्तालिस लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या -176/2026/1324 /35-4-2026/35-4099/264/2023, तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0 प्र0 शासन ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, वाराणसी मण्डल,वाराणसी ।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी,गाजीपुर ।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर ।
13. सम्बन्धित अधिशासी अभियंन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजीपुर ।
14. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।